"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2005—चैत्र 11, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2005

क्रमांक 696/482/2005/1/2.—श्री उजागर सिंह तत्का. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 1-7-2003 से 18-7-2003 तक (18 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19 एवं 20 जुलाई, 2003 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. अवकाश काल में श्री सिंह, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2004

फा. क्र. 6697/डी-2699/21-ब/04.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायाधीशों को उसके कॉलम नं. (3) में इस अधिनियम के अपराधों के विचारण के लिए दिनांक 2-10-2004 से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विशेष न्यायालय (2)	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)
1.	सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)

यह अधिसूचना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1-1-88-21-ब, दिनांक 10-3-92 को जहां तक कि सत्र खण्ड राजनांदगांव के इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय से संबंधित है, को संशोधित करती है.

विशेष न्यायालय राजनांदगांव के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय, राजनांदगांव में दिनांक 2-10-2004 को लंबित है, को विशेष न्यायालय कबीरधाम (कवर्धा) को अंतरित हो जावेंगे.

Raipur, the 8th November 2004

F. No. 6697/D-2699/XXI-B/04.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government hereby appoints the Sessions Judge specified in column (2) of the Schedule below to be the Special Judge for the local area/ specified in corresponding entries in column (3) thereof to trial the cases exclusively relating to offence mentioned in clause (a) and (b) of the said sub-section of the said Act with effect from 2-10-2004.

SCHEDULE

S. No. (1)	Special Court (2)	Local Area/Session Division (3)
1.	Sessions Judge, Kabeer Dham (Kawardha).	Kabeer Dham (Kawardha)

This notification modifies the Madhya Pradesh Government, Law Department's Notification No. 1-1-88-21-B, dated 10-3-1992, so far as it relates to erstwhile Sessions Division Rajnandgaon for specifying a court of Sessions under section 3 of the said Act.

All cases arising out of the area comprised within the jurisdiction of Special Court, Rajnandgaon and pending in the Special Court of Rajnandgaon as on 2-10-2004 shall stand transferred to Special Court constituted at Kabeer Dham (Kawardha).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2005

क्रमांक 280/30/सं./2005.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नानुसार गिरौदपुरी मेला विकास समिति का गठन किया जाता है :—

स. क्र. (1)	पद का नाम (2)	पदाधिकारी का नाम (3)	पता (4)
1.	संरक्षक	माता राजराजेश्वरी, करूणा माता गुरु गोसाई.	अवन्ति चौक, रायपुर, जिला-रायपुर
2.	अध्यक्ष	गुरु गद्दीनसीन श्री विजय गुरु	अवन्ति चौक, रायपुर, जिला-रायपुर
3.	सदस्य	गुरु रूद्रकुमार उर्फ श्री अजय कुमार गुरु.	अवन्ति चौक, रायपुर, जिला-रायपुर
4.	सदस्य	वरिष्ठ राजमहंत श्री रामसनेही	ग्राम व पो. सेंदरी, बिलासपुर जिला - बिलासपुर.
5.	सदस्य	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी	मंत्री, लो. स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग, छ. ग.
6.	सदस्य	श्री पून्नूलाल मोहिले	सांसद, बिलासपुर
7.	सदस्य	श्री गुहा राम अजगल्ले	सांसद, सारंगढ़
8.	सदस्य	श्री दयालदास बघेल	विधायक, मारो एवं उपा. अनु. जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़.
9.	सदस्य	श्री संजय ढीढी, विधायक	आरंग
10.	सदस्य	श्री रेशमलाल जांगड़े (पूर्व सांसद)	राजा तालाब, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	सदस्य	राजमहंत श्री शिवप्रसाद	ग्राम व पो. मगरदाह, कबीरधाम (कवर्धा)
12.	सदस्य	डॉ. भूषणलाल जांगड़े	तेलीबांधा, रायपुर
13.	सदस्य	राजमहंत श्री भुरवाराम अनंत	ग्राम बिना, तखतपुर, जिला - बिलासपुर
14.	सदस्य	राजमहंत श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा	118 जवाहर नगर दुर्ग, जिला - दुर्ग
15.	सदस्य	राजमहंत श्री गैंदलाल डहरिया	ग्राम व पोस्ट, भाठापारा जिला - रायपुर
16.	सदस्य	राजमहंत श्री पीलादास जाटवर	ग्राम व पो. हथनी, जिला - बिलासपुर
17.	सदस्य	राजमहंत श्री कल्याण दास	ग्राम व पो. पथरिया, जिला - बिलासपुर
18.	सदस्य	महंत श्री महेशदास रात्रे	ग्राम व पो. गंडई, जिला - राजनांदगांव
19.	सदस्य	महंत श्री रामकुमार भट्ठ	कवर्धा, जिला - कबीरधाम
20.	सदस्य	महंत श्री रामनाथ मनहरे	ग्राम व पो. खरोरा, जिला - रायपुर
21.	सदस्य	राजमहंत श्री भागीदारी राय	ग्राम व पो. भटिया, जिला - रायपुर
22.	सदस्य	महंत श्री के. पी. सूर्यवंशी	शंकरनगर, रायपुर जिला - रायपुर
23.	सदस्य	राजमहंत श्री किशनलाल कुर्रे	ग्राम मुरकी, पो. दाढ़ी, बेमेतरा, जिला - दुर्ग
24.	सदस्य	राजमहंत डॉ. धरमवीर बघेल	ग्राम व पो. तेलासी जिला - रायपुर
25.	सदस्य	श्री राजमहंत श्री जयराम टंडन	ग्राम व पो. पत्थलगांव जिला - बिलासपुर
26.	सदस्य	राजमहंत श्री दीवानचंद सोनवानी	ग्राम व पो. सेंदरी, जिला - बिलासपुर
27.	सदस्य	राजमहंत श्री उमादत्त धृतलहरे	ग्राम व पो. भरनी, जिला - बिलासपुर
28.	सदस्य	श्री सत्यनारायण सोनवानी भूतपूर्व मालगुजार.	ग्राम व पो. हरिणभट्ठा व्हाया सिमगा जिला - रायपुर.
29.	सदस्य	श्री वासुदेव बंजारे	ग्राम व पो. जालबांधा, राजनांदगांव
30.	सदस्य	श्री राजुराघव (पार्षद)	रायपुर नगर निगम
31.	सदस्य	श्री परमेश्वर धृतलहरे	रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
32.	सदस्य	श्री भोजराम अजगले, जि.पं. सदस्य	ग्राम व पो. सलिहा (बिलाईगढ़)
33.	सदस्य	कलेक्टर, रायपुर	जिला - रायपुर
34.	सदस्य	श्री मोहन लाल धिकड़े	जनपद अध्यक्ष, सिमगा
35.	सदस्य	श्री ओमप्रकाश रात्रे	नगरपालिका अध्यक्ष, भाटापारा
36.	सदस्य सचिव	श्री एस. के. जायसवाल	अपर कलेक्टर, जिला - रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, विशेष-सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2005

क्रमांक एफ 2—8/दो—गृह/रापुसे/2004.— राज्य शासन एतद्द्वारा पुलिस विभाग में सूबेदार (अ), स्टेनोग्राफर तथा सहायक उप निरीक्षक (अ) के पद पर भर्ती संबंधी एस. ओ. पी. 21, दिनांक 27-7-2001 की कण्डिका 7 की उप कण्डिका —(ब) द्वितीय चरण की टिप्पणी में बोनस अंक क्रमांक 3 के बिन्दु 2 को विलोपित करते हुये निम्नानुसार प्रावधान स्थापित करता है :—

''किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा इन्ट्री आपरेटर/प्रोसेसिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाणपत्र तथा डाटा इन्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना अनिवार्य है.''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, संयुक्त-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2005

क्रमांक एफ 2—8/दो—गृह/रापुसे/2004.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 10-3-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, संयुक्त-सचिव.

Raipur, the 10th March 2005

No.. F 2 - 8/2 (Home)/S.P.F./04.— In partial modification of S.O.P. No. 21 dated 27-7-2001 on recruitment of Subedar (M), Stenographer and Assistant Sub Inspector (M), in Police Department, the Government of Chhattisgarh hereby substitutes the following provision in place of para 7 (B) second part note 3 (2) on Bonus marks :-

"One year Diploma from a recognized institution in Data - Entry Operator/ Processing and data entry speed of 10,000 depression per hour is essential".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. MINJ, Joint Secretary.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

संकल्प

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य में "राज्य जल संसाधन परिषद्" का गठन.

क्रमांक 4419/पी-150/जसं/तशा/अवि/04/डी-4.— छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के लिये उच्च स्तर पर नीति निर्धारण एवं कार्य योजना की तैयारी तथा क्रियान्वयन पर दिशा निर्देश देने के लिये "राज्य जल संसाधन परिषद्" का गठन करने का विनिश्चय किया है.

2. राज्य जल संसाधन परिषद् का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :-

(एक)	मुख्य मंत्री	—	अध्यक्ष
(दो)	मंत्री, जल संसाधन विभाग	—	उपाध्यक्ष
(तीन)	मंत्री, वित्त विभाग	—	सदस्य
(चार)	मंत्री, कृषि विभाग	—	सदस्य
(पांच)	मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	—	सदस्य
(छः)	मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	—	सदस्य
(सात)	मंत्री, ऊर्जा विभाग	—	सदस्य
(आठ)	मंत्री, वन विभाग	—	सदस्य
(नौ)	मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग	—	सदस्य
(दस)	मंत्री, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग	—	सदस्य
(ग्यारह)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	—	सदस्य
(बारह)	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग	—	सदस्य सचिव

3. राज्य जल संसाधन परिषद् की सहायता के लिये कार्यकारिणी समिति रहेगी. कार्यकारिणी समिति कार्य योजना के निर्धारण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित/निर्मित नीति का पालन करायेगी. कार्यकारिणी समिति का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :-

कार्यकारिणी समिति

(एक)	मुख्य सचिव, छ. ग. शासन	—	अध्यक्ष
(दो)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
(तीन)	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग	—	सदस्य
(चार)	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	—	सदस्य

(पांच)	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	—	सदस्य
(छः)	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	—	सदस्य
(सात)	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग	—	सदस्य
(आठ)	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	—	सदस्य
(नौ)	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग	—	सदस्य
(दस)	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग	—	सदस्य
(ग्यारह)	विशेष कर्त. अधि./संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग	—	सदस्य सचिव

4. छ. ग. राज्य, जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन हेतु कार्य-योजना निर्धारित करने बाबत विभिन्न संबंधित विभागों से ज़िलेवार जानकारी एकत्रित कर, उसकी समीक्षा उपरांत उसे निर्धारित प्रपत्र में कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में, प्रत्येक संबंधित विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को शामिल कर, एक तकनीकी समिति रहेगी. इस समिति का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

तकनीकी समिति

(एक)	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग	—	अध्यक्ष
(दो)	नोडल अधिकारी, कृषि विभाग	—	सदस्य
(तीन)	नोडल अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	—	सदस्य
(चार)	नोडल अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	—	सदस्य
(पांच)	नोडल अधिकारी, वन विभाग	—	सदस्य
(छः)	नोडल अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग	—	सदस्य
(सात)	नोडल अधिकारी, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग	—	सदस्य
(आठ)	नोडल अधिकारी, जल संसाधन विभाग	—	सदस्य सचिव

5. जिला स्तर पर जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन हेतु कार्य योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिये जिला जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन समिति रहेगी. इस समिति का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :-

जिला जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन समिति

(एक)	कलेक्टर	—	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	—	उपाध्यक्ष
(तीन)	वन मण्डलाधिकारी (सर्व)	—	सदस्य
(चार)	कार्यपालन अभियंता (सर्व), लो. स्वा. यांत्रिकी	—	सदस्य
(पांच)	उप संचालक, नगरीय कल्याण	—	सदस्य
(छः)	महाप्रबंधक, उद्योग	—	सदस्य
(सात)	उप संचालक, कृषि	—	सदस्य
(आठ)	सहायक अभियंता, क्रेडा	—	सदस्य
(नौ)	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग (मुख्यालय)	—	सदस्य सचिव

6. **परिषद् के कार्य** :- छ. ग. राज्य जल संसाधन परिषद् निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(एक) राष्ट्रीय जल नीति एवं उसके परिपेक्ष्य में राज्य जल संसाधन विकास नीति को लागू कराना एवं प्रगति की समीक्षा करना.

(दो) राष्ट्रीय जल नीति एवं राज्य जल संसाधन विकास नीति के अनुसार उचित कार्य योजना निर्धारित कर उसे लागू कराना.

(तीन) राष्ट्रीय जल नीति एवं राज्य जल संसाधन विकास नीति के अनुसार राज्य में एकीकृत जल संसाधन विकास हेतु उचित संस्थान/संगठनों की स्थापना पर निर्णय.

(चार) राज्य में जल संसाधनों से संबंधित गतिविधियों में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं/संगठनों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का आंकलन/समीक्षा.

(पांच) जल संसाधनों के शीघ्र एवं व्यवस्थित विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु वित्तीय उपलब्धता के ढांचे पर निर्णय.

(छः) जल संसाधन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना.

(सात) राज्य के जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित कोई भी बिन्दु/समस्या, जो परिषद् के समक्ष, प्रस्तुत हो, उस पर विचार कर उचित निर्णय उपरांत आवश्यकतानुसार केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय/राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् को उचित अनुशंसा सहित प्रस्तुत करना.

7. राज्य जल संसाधन परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों को प्रमुख सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग के हस्ताक्षर से शासकीय आदेश के रूप में जारी किया जायेगा.

8. राज्य जल संसाधन परिषद् के निर्णयों का पालन करने हेतु संबंधित विभाग बंधनकारी माने जायेंगे.

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिये छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया जाए.

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत शासन को सामान्य जानकारी के लिये ''भारत के राजपत्र'' में प्रकाशित करने का निवेदन करते हुये भेजी जाए.

Raipur, the 21st September 2004

RESOLUTION

Subject :- Constitution of "State Water Resources Council" in Chhattisgarh State.

No. 4419/P-150/WR/TC/OM/04/D-4.— Government of Chhattisgarh have decided to constitute a " State Water Resources Council" for policy decisions at higher level, preparation of action plans and guidance for its implementation, in development and management of water resources in the state.

2. "State Water Resources Council" shall consist of -

1.	Chief Minister	—	Chairman
2.	Minister, Water Resources Department	—	Vice Chairman
3.	Minister, Finance Deptt.	—	Member
4.	Minister, Agriculture Deptt.	—	Member
5.	Minister, Public Health Engg. Deptt.	—	Member
6.	Minister, Commerce & Industry Deptt.	—	Member
7.	Minister, Energy Deptt.	—	Member
8.	Minister, Forest Deptt.	—	Member
9.	Minister, Rural Development Deptt.	—	Member
10.	Minister, Environment & Urban Development Deptt.	—	Member
11.	Chief Secretary, Government of Chhattisgarh	—	Member
12.	Principal Secretary, Water Resources Deptt.	—	Member - Secretary

3. There will be a executive committee to assist the "State Water Resources Council" the executive committee will review the preparation of action plan and implementation of the policies decided by the state water resources council.

The executive committee shall be as follows :-

Executive Committee

1.	Chief Secretary, Government of Chhattisgarh	—	Chairman
2.	Principal Secretary/Secretary, Finance Deptt.	—	Member
3.	Principal Secretary/Secretary, Agriculture Deptt.	—	Member
4.	Principal Secretary/Secretary, P. H. E. Deptt.	—	Member
5.	Principal Secretary/Secretary, Commerce & Industry Deptt.	—	Member
6.	Principal Secretary/Secretary, Energy Deptt.	—	Member
7.	Principal Secretary/Secretary, Forest Deptt.	—	Member
8.	Principal Secretary/Secretary, Rural Dev. Deptt.	—	Member
9.	Principal Secretary/Secretary, Environment & Urban Development Deptt.	—	Member

10.	Principal Secretary, Water Resources Department	—	Member
11.	Officer-on-Special Duty/Joint Secretary, Water Resources Department.	—	Member-Secretary

4. There will be a technical committee headed by "Engineer-In-Chief", Water Resources Department and consisting of nodal officers nominated by each concerned department to collect the district wise information and to submit it to the executive committee in prescribed proforma after it's review for deciding the Action plan on State Water Development and Management. This committee will be as given below :-

Technical Committee

1.	Engineer-In-Chief, Water Resources Department	—	Chairman
2.	Nodal Officer, Agriculture Deptt.	—	Member
3.	Nodal Officer, P. H. E. Deptt.	—	Member
4.	Nodal Officer, Commerce & Industry Deptt.	—	Member
5.	Nodal Officer, Forest Deptt.	—	Member
6.	Nodal Officer, Rural Development Deptt.	—	Member
7.	Nodal Officer, Environment & Urban Development Deptt.	—	Member
8.	Nodal Officer, Water Resources Deptt.	—	Member-Secretary

5. At district level, for development and management of water resources and implementation of action plan, District level committee shall be constituted as given below :-

District Water Resources Development & Management Committee

1.	Collector	—	Chairman
2.	Chief Executive Officer, Jila Panchayat	—	Vice Chairman
3.	District Forest Officer	—	Member
4.	Executive Engineer (all), P. H. E. Deptt.	—	Member
5.	Deputy Director, Urban Welfare	—	Member
6.	Managing Director, Industry	—	Member
7.	Dy. Director, Agriculture	—	Member
8.	Assistant Engineer, Creda	—	Member
9.	Executive Engineer (H.Q.), Water Resources Department	—	Member-Secretary

6. **Duties of the State Water Resources Council :-** The duties of State Water Resources Council are as Follows -

(One) In pursuance of the directives given in the "National Water Policy", to review the State Water Resources Development Policy and its implementations.

(Two) To Formulate appropriate action plan as per the "State Water Resources Development Policy" and the "National Water Policy" and to ensure its implementation.

(Three) To set-up appropriate organisations and institutions for integrated development of water resources as envisaged under the 'National Water Policy' and 'State Water Resources Development Policy'.

(Four) To assess and review the achievements of the different institution / agencies working on the activities related to water resources development.

(Five) To decide on the pattern of funding of the projects for speedy and systematic development of the water resources.

(Six) To formulate guidelines for training and appropriate programmes to the officials engaged in the field of water resources development.

(Seven) To consider any matter/problems associated with the development and management of the state's water resources as may be brought up before the council and decide or make suitable recommenda tions to the ministry of Water Resources, Government of India/National Water Resources Council.

7. The decisions taken by the 'State Water Resources Council' shall become a government order and shall be issued under signature of the Principal Secretary / Secretary, Water Resources Department, Chhattisgarh.

8. All decisions taken by the 'State Water Resources Council' Shall be binding on all the concerned departments for implementation.

ORDER

It is ordered that this **"Resolution"** be published in the Chhattisgarh Gazette for general information.

it is also ordered that a copy of this **"Resolution"** be sent to the Government of India with request for its publication in Gazette of India for general information.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/03-04/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	केशकाल	लिहागांव	0.365	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोंडागांव.	लिहागांव तालाब की डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, कोंडागांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	छुरावण्ड	82.59	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	करन्दोला	0.518	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत भानपुरी माइनर नं. 02 की निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/04/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	करन्दोला	0.786	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत भानपुरी माइनर नं. 01 की निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	करन्दोला	0.374	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत भानपुरी माइनर नं. 03 की निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/06/अ-82/02-03/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बनियागांव	0.42	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	बनियागांव उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत 3 नग लघु नहर क्रमांक 1, 2, 3 का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/06/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	0.990	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत कुम्हली माइनर नं. 01 (चपका डिस्ट्रीब्यूटरी से) की निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	1.228	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत कुम्हली माइनर नं. 01 (मुख्य नहर से) की निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	2.158	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत कुम्हली माइनर नं. 02 (मुख्य नहर से) की निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/कार्यपालन यंत्री टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/09/अ-82/04-05/27/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	जगदलपुर	7.25	आयुक्त नगरपालिक निगम, जगदलपुर.	गोकुल नगर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर/आयुक्त नगरपालिक निगम, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/4/अ/82/ 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	पवनी	2.237	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर सोनिया जलाशय योजना के पवनी माइनर क्र. 3 निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/7/अ/82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	रमतला	1.085	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर सोनिया जलाशय योजना के बिलाईगढ़ सब माइनर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/9/अ/82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	पवनी	1.672	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	लोवर सोनिया जलाशय योजना के पवनी माइनर क्र.1 निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2005

क्रमांक-क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र.-08 अ 82 वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	निसदा प.ह.नं. 148/44	0.91	कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर.	ग्राम निसदा प.ह.नं. 148/44 तहसील आरंग की निजी भूमि को राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 16 अक्टूबर 2003

क्रमांक 16 अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लॉची, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	113	0.06
	182	0.03
	263	0.02
	689	0.05
	772	0.03
	948	0.03
	949	0.11
योग	7	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लॉची जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक 17 अ- 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परशुरामपुर, प. ह. नं. 67, राजापुर, प.ह.नं. 66, जगन्नाथपुर, प. ह. नं. 66.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43+1.12+0.33 =1.88 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	ग्राम-परशुरामपुर	
	782/4	0.01
	553/2	0.05
	1679	0.02
	509	0.18
	1413	0.09
	1746	0.02
	541	0.06
योग	7	0.43
	ग्राम-राजापुर	
	51	1.12
योग	1	1.12
	ग्राम-जगन्नाथपुर	
	577	0.04
	573	0.24
	571	0.05
योग	3	0.33
कुल योग		1.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परशुरामपुर जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक 2-अ 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसिया, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.760 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
885	0.237
891	0.023
1409	0.036
1347	0.039
1350	0.014
1351	0.179
1352	0.147
1353	0.125
1354	0.034
1356	0.056
1357	0.190

	(1)	(2)
	1389	0.035
	1445	0.048
	1411	0.033
	1390	0.067
	1391	0.027
	1392	0.032
	1393	0.024
	1394	0.036
	1398	0.060
	1399	0.052
	1400	0.015
	1414	0.033
	1415	0.038
	1428	0.056
	1438	0.070
	1451	0.054
योग	27	1.760

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैजनाथपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक 3-अ 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बैजनाथपुर, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	34/2	0.01
	35	0.09
	36	0.04
	54	0.03
	55	0.03
योग	5	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैजनाथपुर जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक 4-अ 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बैजनाथपुर, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
47	0.02
39	0.01
45	0.03
43	0.07
44	0.11

(1)	(2)
42	0.01
21	0.02
41	0.03
40	0.04
38	0.06
योग 10	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैजनाथपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मार्च 2004

क्रमांक 5-अ 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गिरजापुर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
250	0.06
251	0.02
261	0.01
314	0.01
324	0.03
365/1	0.02
370	0.03
380/1	0.05
315	0.02
317	0.02
348	0.01
351	0.02
366	0.04
319	0.01
218	0.01
318	0.03
321	0.04
349	0.01
353	0.03
364	0.06
371	0.02
316	0.02
322	0.06
325	0.05
354	0.01
377	0.04
392	0.16
326	0.03
369	0.03
365/2	0.02
380/2	0.08
367	0.02
379	0.05
390	0.01
391	0.06
219	0.01
योग 36	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिरजापुर जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्रमांक 07/अ-82/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पंडरिया

(ग) नगर/ग्राम-कोदवाकला, प. ह. नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	6	0.05
	47/2	0.53
योग	2	0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हेम्प व्यपवर्तन दायीं तट नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक 796/वा-1/भू-अर्जन/04/अ/82-2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-देवभोग

(ग) नगर/ग्राम-नागलदेही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.25
113	4.04
3	0.54
17	0.40
4	0.64
5	0.90
10	0.26
6	0.20
7	0.15
8	0.15
11	0.37
12	0.59
115	1.44
13	0.37
14	0.42
15	0.53
16	0.34
19	0.48

(1)	(2)
18/1	0.11
18/3	0.12
18/2	0.20
18/6	0.06
18/4	0.14
18/5	0.14
18/7	0.04
20	0.26
21	0.10
22	0.38
101/2	1.20
105	0.40
101/1	1.40
103	0.28
106	0.42
104	0.96
107/1	0.68
107/2	0.68
111/1	0.25
112/1	0.09
111/2	0.20
112/2	0.09
114	2.11
116	1.20
131	3.35
132	0.10
134	0.10
135	0.38
136	1.10
योग 47	28.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-धुपकोट जलाशय योजना के लिये भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक 795/वा-1/भू-अर्जन/05/अ/82-2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-धुपकोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
238	0.25
239	0.77
243	0.06
240	0.23
141/1	0.29
241/2	0.08
242	1.04
244	0.06
272	0.18
245/1	0.55
245/3	0.50
259/1	0.56
245/2	0.27
260/1	0.32
258/1	0.08
346	0.37
268/2	0.09
258/2	0.32
247	0.25
257	0.31
248	0.22
250	0.24
258	0.18

(1)	(2)
249	0.19
252	0.16
266	0.38
251	0.64
253/2	0.12
254	1.22
263	0.34
264	0.07
390	0.12
255	0.89
267	0.25
260	1.38
261	0.13
355	0.37
270	3.22
271/1	0.65
271/2	0.69
273	1.20
343	1.08
245	0.30
348	0.09
377	1.50
349	0.57
350	2.33
352	0.31
360	0.72
353	0.40
361	0.62
385	0.56
365	0.46
367	0.10
373/1	0.44
373/2	0.36
378	0.75
373/3	0.34
384/1	0.32
391/1	0.08
380	0.28
योग	30.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-धुपकोट. जलाशय योजना के लिये भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरिया-बंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक 794/वा-1/भू-अर्जन/06/अ/82-2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-सुकलीभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-24.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
362	0.28
372/1	1.13
373	0.08
374	0.49
384	1.84
390	0.49
392	0.46
393	0.89
388	0.33
326	1.05
327	0.37
375	0.11
376	0.48
377	0.47
381	0.66
382	1.44
383	0.58
390	0.38
395	0.52
396	0.26
397	0.36
398	0.16
399	0.04
320	0.07

(1)	(2)
370	0.77
328	0.09
325	1.11
378	0.38
379	0.42
330	0.30
332	0.32
333	0.65
334	0.28
335	0.04
292	0.20
293	0.51
294	0.17
295	0.13
324	0.56
315	0.04
321	0.03
322	0.15
291	0.18
296	0.07
309	0.56
310	0.06
323	0.12
290	0.02
314	0.32
297	0.36
298	0.02
313	0.15
312	0.18
307	0.07
308	0.19
410	0.62
437	0.22
436	0.60
426	0.52
428	0.30
409	0.28
385/2	0.12
योग 62	24.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- धुपकोट जलाशय योजना के लिये भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक 275/क/47/अ/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-कछारडीह, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83	0.06
	0.01
84	0.21
109	0.05
113	0.07
114	0.09
	0.01
116	0.04
117/3	0.08
128	0.06
129/3	0.16
	0.03
	0.01
177	0.06
173	0.08
178	0.06
	0.02
173	0.09

(1)	(2)
178	0.07
182	0.01
179	0.07
	0.03
	0.04
215	0.03
	0.01
183	0.07
	0.04
	0.03
191/1	0.12
192	0.02
364/626	0.01
264/626	0.02
	0.01
	0.01
191/1	0.10
220	0.15
232/2	0.03
	0.02
232/3	0.11
	0.02
232/3	0.10
	0.02
	0.01
175	0.04
176	0.02
200/2	0.03
	0.01
	0.01
योग 30	2.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कछार-डीह जलाशय के बायीं पट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

क्रमांक 171(I)/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया बैकुण्ठपुर
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-कोड़ा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1123	0.55
1137	0.18
1193	0.37
1204	0.90
1208	0.08
1209	0.22
1212	0.40
1192	0.56
योग 8	3.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कांसाबहरा भौता मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर, कोरिया बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 20 अक्टूबर 2004

क्रमांक 171(I)/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया वैकुण्ठपुर

(ख) तहसील-खड़गवां

(ग) नगर/ग्राम-नेवरी, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.69 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
811/1	0.06
811/4	0.06
811/3	0.06
327	0.25
328	0.06
455	0.08
450	0.16
242	0.05
488	0.04
347	0.15
263	0.22
388	0.06
436	0.15
432	0.36
302	0.02
306	0.02
309	0.05
329	0.03
301	0.07
305	0.06
307	0.05
303	0.05
304	0.09
230	0.08
324	0.03
331	0.25
299	0.02
300	0.02
308	0.06
330	0.04
262	0.02
390	0.05
398	0.05
84	0.32
93	0.16
214	0.10
321	0.09
319	0.32
241	0.06
269	0.20
37	0.19
38	0.09
41	0.11
54	0.09
42	0.08
55	0.20
87	0.30
88	0.02
86	0.09
89	0.30
30	0.03
योग 51	5.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कांसाबहरा भौता मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर, कोरिया बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमीर अली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नंदेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.723 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
756/3	0.101
756/4	0.202
757	0.138
758/1	0.045
758/2	0.178
765/1/1	0.065
765/1/2	0.089
765/1/3	0.162
768/2	0.105
765/1/4	0.069
765/2	0.073
768/3	0.105
750/5	0.365
750/6	0.174
790/1, 790/2	0.267
750/7	0.178
790/3	0.137
768/1	0.202
768/4	0.113
795/1/2	0.089
768/5	0.109
795/1/1	0.089
768/6	0.210
795/1/3	0.174
764	0.432
761	0.020
762/1	0.010
763/2	0.010
763	0.121
788/1	0.210
788/2	0.121
788/3	0.121
791	0.049
790/4	0.138
758/3	0.020
760	0.032
योग 37	4.723

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोतासुरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 9th March 2004

No. 67/Confdl./2004/II-15-66/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, directs the following Civil Judges Class-II as specified in column No. 2 from their present place of posting as specified in column No. 3 of the table below to report in the Judicial Officers Training Institute, High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 13-03-2004 in the afternoon at 4.00 p.m. to undergo a refresher/re-orientation course of 8 days from 14-03-2004 to 21-03-2004 :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted as (3)
1.	Shri Mansoor Ahmed	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
2.	Ku. Saroj Nand Das	IX Civil Judge Class-II, Raipur
3.	Shri Pravin Kumar Pradhan	VII Civil Judge Class-II, Durg
4.	Shri Khilawan Ram Rigri	Civil Judge Class-II, Bemetara
5.	Shri Chhameshwar Lal Patel	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
6.	Shri Vinod Kumar Dewangan	Civil Judge Class-II, Pratappur
7.	Ku. Sanghratna Bhatpahari	VII Civil Judge Class-II, Bilaspur
8.	Ku. Vinita Lawang	IV Civil Judge Class-II, Raigarh
9.	Shri Rishi Kumar Barman	Civil Judge Class-II, Jashpurnagar
10.	Shri Thomas Ekka	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Baloda-Bazar.
11.	Shri Daya Sindhu Ganveer	Civil Judge Class-II, Kanker
12.	Shri Devendra Nath Bhagat	Civil Judge Class-II, Katghora
13.	Shri Pradeep Kumar Singh	Civil Judge Class-II, Sarangarh
14.	Shri Dileshwar Singh Rathiya	II Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Surajpur
15.	Smt. Geeta Neware	IX Civil Judge Class-II, Bilaspur
16.	Smt. Girija Devi Meravi	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
17.	Ku. Prisilla Ekka	X Civil Judge Class-II, Raipur
18.	Shri Shailesh Kumar Ketarap	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
19.	Shri Prabodh Toppo	IX Civil Judge Class-II, Durg
20.	Shri Srinarayan Singh	Civil Judge Class-II, Bijapur

All the above 20 Civil Judges Class-II are also directed to bring with them the following Bare Acts :—

1. Indian Penal Code
2. Code of Criminal Procedure
3. Evidence Act
4. Code of Civil Procedure
5. Court Fees Act
6. Limitation Act
7. Accommodation Control Act
8. Contract Act
9. Special Relief Act
10. Civil Court Rules
11. Rules and Orders (Criminal)

Bilaspur, the 19th March 2004

No. 83/Confdl./2004/II-2-1/2004.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers Shri R. K. Behar, Member of Higher Judicial Service presently posted on deputation as Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal, Raipur and posts him as District Judge of the Civil District Raipur from the date he assumes charge of his office, and

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri R. K. Behar as Sessions Judge of the Sessions Division Raipur.

Bilaspur, the 27th March 2004

No. 118/Confdl./2004/II-15-66/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, directs the following Civil Judges Class-II as specified in column No. 2 from their present place of posting as specified in column No. 3 of the table below to report in the Judicial Officers, Training Institute, High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 11th April 2004 in the afternoon at 4.00 p.m. to undergo a refresher/re-orientation course of 8 days from 12th April 2004 to 19th April 2004 :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted as (3)
1.	Shri Chandra Kumar Ajgalley	Civil Judge Class-II, Dantewara
2.	Smt. Neeta Yadav	V Civil Judge Class-II, Durg
3.	Shri Ramjivan Dewangan	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
4.	Shri Manish Kumar Naidu	II Civil Judge-Class-II, Durg
5.	Shri Abdul Zahid Qureshi	III Civil Judge Class-II, Bilaspur
6	Shri Shankarlal Baghel	Civil Judge Class-II, Narayanpur
7.	Shri Jantaram Banjara	II Civil Judge Class-II, Sanjari-Balod
8.	Smt. Kiran Chaturvedi	I Civil Judge Class-II, Durg
9.	Shri Kartik Ram	Civil Judge Class-II, Surajpur
10.	Shri Anand Ram Dhidhi	III Civil Judge Class-II, Raipur
11.	Shri Gopal Krishna Neelam	Civil Judge Class-II, Korba
12.	Smt. Dhaneshwari Sidar	II Civil Judge Class-III, Dhamtari
13.	Shri Gregory Tirkey	Civil Judge Class-II, Manendragarh
14.	Shri Rohit Singh Tanwar	Civil Judge Class-II, Baikunthpur
15.	Shri Hirendra Singh Tekam	II Civil Judge Class-II, Janjgir
16.	Shri Sanjay Kumar Soni	I Civil Judge Class-II, Janjgir
17.	Shri Jitendra Kumar	IV C.J. CL. II & Special Railway Magistrate, Raipur
18.	Shri Maneesh Kumar Thakur	Civil Judge Class-II, Pendra Road
19.	Shri Mohd. Rizwan Khan	VIII Civil Judge Class-II, Durg
20.	Shri Vijay Kumar Hota	Civil Judge Class-II Baloda-Bazar

All the above 20 Civil Judges Class-II are also directed to bring with them the following Bare Acts :—

1. Indian Penal Code
2. Code of Criminal Procedure
3. Evidence Act
4. Code of Civil Procedure
5. Court Fees Act
6. Limitation Act

7. Accommodation Control Act
8. Contract Act
9. Special Relief Act
10. Civil Court Rules
11. Rules and Orders (Criminal)

बिलासपुर, दिनांक 27 मार्च 2004

क्रमांक 1630/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 12-9-2003 को 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 201 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 27 मार्च 2004

क्रमांक 1632/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 21-11-2003 से दिनांक 25-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26-11-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 214 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 27 मार्च 2004

क्रमांक 1634/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. भट्ट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा, स्थान अंबिकापुर को दिनांक 22-12-2003 से दिनांक 24-12-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21-12-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 25-12-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. भट्ट को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240 +8 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विजय कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

Bilaspur, the 3rd February 2005

No. 59/Confdl./2005/II-15-66/2001(Pt.II).—The following Civil Judges Class-I/C.J.M./A.C.J.M. as specified in column No. 2 presently posted at the places specified in column No. 3 of the table below are directed to report in the Judicial Officers' Training Institute (J.O.T.I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 14-02-2005 at 4 p.m. for undergoing "Refresher/Reorientation Course" to be held from 15th February 2005 to 19th February 2005 for 5 days and to receive further instructions from the Director, J.O.T.I. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-I (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Gorelal Sonwani	I Civil Judge Class-I & C.J.M., Kawardha
2.	Shri Virendra Kumar Chanakya	Civil Judge Class-I & A.C.J.M., Dongargarh
3.	Shri Makardhwaj Jagdalla	Civil Judge Class-I & A.C.J.M., Bemetara
4.	Shri Bhuneshwar Ram	Civil Judge Class-I & C.J.M., Dantewara
5.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal	I Civil Judge Class-I & C.J.M., Mahasamund
6.	Shri Kanwar Lal Charyani	I Civil Judge Class-I & C.J.M. Jagdalpur
7.	Shri Noordeen Tigala	I Civil Judge Class-I & C.J.M. & S.J.M. under various Central Acts, Raipur.
8.	Shri Shailesh Kumar Tiwari	I Civil Judge Class-I & C.J.M. Raigarh
9.	Shri Narendra Singh Chawla	I Civil Judge Class-I & C.J.M. & S.J.M. under various Central Acts, Bilaspur
10.	Shri Ram Kumar Tiwari	I Civil Judge Class-I & C.J.M., Korba
11.	Shri Jagdamba Rai	I Civil Judge Class-I & C.J.M. & S.J.M. under various Central Acts, Durg.

(1)	(2)	(3)
12.	Shri Arvind Kumar Verma	I Civil Judge Class-I & C.J.M., Rajnandgaon
13.	Shri Rajesh Kumar Shrivastava	I Civil Judge Class-I & C.J.M., Jashpur
14.	Shri Ramashankar	III Civil Judge Class-I & A.C.J.M., Bilaspur
15.	Shri Dayaram Dayal	Under Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur.
16.	Smt. Kiran Chaturvedi	Civil Judge Class-I & J.M.F.C., Mungeli

The above mentioned Judicial Officers are also Directed to maintain the dress code prescribed for Civil Judges during the training.

Bilaspur, the 4th February 2005

No. 63/Confdl./2005/II-3-1/2005.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges Class-II & Judicial Magistrates First Class specified in column No. (2) in the same capacity from the place shown in column No. (3) and posts them at the place mentioned in column No. (4) in the Civil District mentioned in column No. (5) of the table below from the date they assume charge of their office:—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Civil District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vinod Kumar Dewangan.	Pratappur	Bijapur	Dakshin Bastar	Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class.
2.	Shri Shrinarayan Singh.	Bijapur	Pratappur	Surguja	Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class.

Bilaspur, the 16th March 2005

No. 195/Confdl./2005/II-1-1/2005 (Pt.A).— It is hereby notified that, pursuant to Notification No. K-13030/1/2005- US.II dated 28th February 2005 of Government of India, Ministry of Law, Justice & Company Affairs, (Department of Justice), New Delhi, Hon' ble Shri Justice Ananga Kumar Patnaik, Judge of Orissa High Court has assumed charge of the office of Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur in the forenoon of 14th March, 2005.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.

Bilaspur, the 11th March 2004

No. 72/Confdl./2004/II-2-90/2001 (Pt.II).—It is hereby informed that Shri Vijay Kumar Shrivastava, Member of Higher Judicial Service has assumed charge of the Office of Registrar General of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur with effect from the forenoon of 8th March 2004.

All the confidential, D.O. letters and personal communications, etc. intended for the Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur may be addressed to him by name.

His Telepone numbers are as follows :—

Office	—	226010 (STD-07752) 506943
Residence	—	271599
FAX (Office)	—	226030

By order of Hon'ble the Chief Justice,
T. K. JHA, Registrar Vigilance.